अति तत्काल

फाइल संख्या आर-11016/2/2015-पी0 एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 17th अगस्त, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए जुलाई, 2020 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **जुलाई, 2020** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)

अवर सचिव (पी. एंड सी.)

दूरभाष नं0 2338 1233

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उपराष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले विभाग

जुलाई, 2020 माह के लिए मासिक सार

1. जुलाई, 2020 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय:

1.1 दिनांक 20 जुलाई, 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया। दिनांक 23 जुलाई, 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना के लिए राजपत्रित अधिसूचना प्रकाशित की गई।

1.2 अरहन के उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 7 जुलाई, 2020 को मोजाम्बिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

1.3 संसद के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किए जाने के लिए विधायी विभाग द्वारा उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 तैयार किया गया।

2 माह के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

2.1 नेफेड ने जुलाई, 2020 के दौरान पीएसएफ के तहत लगभग 0.02 लाख मीट्रिक टन तूर की खरीद की है, जिससे जुलाई, 2020 के अंत तक कुल खरीद 1.86 लाख मीट्रिक टन हो गई है।

2.2 प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के लिए बफर बनाने के लिए जुलाई 2020 के अंत तक पीएसएफ के तहत रबी-2020 की फसल से लगभग 93,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की गई जैसा कि नेफेड द्वारा सूचित किया गया।

2.3 विभाग ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक व्यवधान से गरीबों को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए कोविड-19 के प्रति आर्थिक प्रतिक्रिया के भाग के रूप में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) पैकेज के तहत 3 महीने (अप्रैल से जून, 2020) के लिए एनएफएसए लाभार्थियों के लिए प्रति परिवार एक किलो दालों का प्रावधान किया है। 5.82 लाख मीट्रिक टन दालों के आवंटन के सापेक्ष राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को 5.80 लाख मीट्रिक टन का प्रेषण किया गया, जिसमें से उनके द्वारा 5.79 लाख मीट्रिक टन प्राप्त किया गया और अंतिम लाभार्थियों को 5.20 लाख मीट्रिक टन वितरित किया गया।

2.4 इसके अलावा, अप्रैल से जून 2020 की प्रारम्भिक अवधि से नवंबर 2020 के अंत तक विस्तारित किए गए पीएमजीकेवाई के एक भाग के रूप में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को

सरकारी बफर स्टॉक से एक किलोग्राम निःशुल्क चने के वितरण के संबंध में, 9.70 लाख मीट्रिक टन दालों के आबंटन के सापेक्ष, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 0.97 लाख मीट्रिक टन का प्रेषण किया गया, जिसमें से 0.45 लाख मीट्रिक टन उनके द्वारा प्राप्त किया गया और अंतिम लाभार्थियों को 0.02 लाख मीट्रिक टन वितरित किया गया।

2.5 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर न किए गए या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में राशन कार्ड के बिना फंसे हुए प्रत्येक प्रवासी कामगार परिवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकारी बफर स्टॉक से 1 किलो साबुत चने के प्रावधान के संबंध में, जुलाई, 2020 के अंत तक, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 33,744 मीट्रिक टन साबुत चना प्रेषित किया गया, जिसमें से 33,385 मीट्रिक टन उनके द्वारा प्राप्त किया गया और 14,864 मीट्रिक टन वितरित किया गया।

2.6 बीआईएस ने "आत्मनिर्भर भारत" अभियान के तहत 27 जुलाई, 2020 को मानकीकरण, प्रशिक्षण, उत्पादों के प्रमाणन के लिए तीन पोर्टल तथा उपभोक्ताओं और हितधारकों के लाभ के लिए मोबाइल ऐप 'बीआईएस-केयर' का शुभारम्भ किया है।

2.7 बीआईएस केंद्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में आईएस 17423: 2020 के अनुसार, कोविड-19 के लिए सभी को कवर करना' के लिए परीक्षण सुविधा का सृजन किया गया है।

2.8 डीपीआईआईटी द्वारा जारी किए गए खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार, बीआईएस ने मानक चिह्न बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 के उपयोग के लिए खिलौनों के विनिर्माताओं को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है।

2.9 बीआईएस (हॉलमार्किंग) विनियम के तहत विशिष्ट छूट में 30 सितंबर, 2020 की अवधि तक विस्तार किया गया है।

2.10 माह के दौरान, बीआईएस ने 2 नए मानक तैयार किये हैं और नौ मानकों को संशोधित किया है। इसने अनुरूपता मूल्यांकन के आधार पर घरेलू विनिर्माताओं को 264 नए लाइसेंस और विदेशी विनिर्माताओं को 2 लाइसेंस प्रदान किए हैं। इस अवधि के दौरान बीआईएस ने 2521 घरेलू विनिर्माताओं और 33 विदेशी विनिर्माताओं के लाइसेंसों का नवीनीकरण किया।

2.11 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद ने कोविड महामारी के विरूद्ध कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों और फ्रंटलाइन स्टाफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) के परीक्षण के लिए एक सिंथेटिक ब्लड पेनेट्रेशन परीक्षण मशीन संस्थापित की है।

2.12 विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के उप-नियम 10 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 03.07.2020 को ई-कॉमर्स संस्थाओं को एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसकी प्रति राज्य सरकारों के विधिक माप विज्ञान नियंत्रकों को कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अग्रेषित की गई।

3 माह के दौरान आयोजित की गई महत्वपूर्ण बैठकें:

3.1 दालों के बफर स्टॉक के प्रबंधन और दालों की खुदरा बिक्री के संबंध में दिनांक 03.07.2020 और 13.07.2020 को सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक का आयोजन किया गया।

3.2 आलू की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा के लिए दिनांक 28.07.2020 को सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक आयोजित की गई।

3.3 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा करने के लिए माह के दौरान सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में अंतरमंत्रालयी समिति (आईएमसी) की दो बैठकें आयोजित की गईं।

3.4 माह के दौरान, पीएसएफ के तहत बफर स्टॉक के प्रबंधन के संबंध में दो साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बफर स्टॉक से निपटान, पीएसएफ के तहत दाल और प्याज की खरीद, सेना को आपूर्ति की स्थिति, पीएसएफ प्रचालनों के खातों के निपटान की समीक्षा की गई थी।